भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3252
दिनांक 05 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

नए आंगनवाड़ी केंद्र

3252. श्री राजबहादुर सिंह:
श्री प्रताप चंद्र सारंगी:
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री सी.आर. पाटिल:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री संगम लाल गुप्ता:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार का वर्ष 2011 से 2021 तक जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नए आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार उक्त राज्यों के लिए जनसंख्या में वृद्धि के अनुसार नई बाल विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने की योजना बना रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ) : आंगनवाड़ी सेवाओं के विस्तार के दौरान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों/ आंगनवाड़ी परियोजनओं को राज्यों/ संघ राज्य शासित क्षेत्रों को पहले ही संस्वीकृत किया जा चुका है। वर्तमान में नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने / नई परियोजनाओं को मंजूरी देने का कोई प्रावधान नहीं है।

यद्दिप, इस मंत्रालय ने आंगनवाड़ियों की पुनर्स्थापना पर दिनांक 1 दिसंबर, 2014 को दिशानिर्देश जारी किया था जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए प्राधिकृत करता है। तथापि, आंगनवाड़ी केंद्रों को पुनर्स्थापित करते समय, यह भी ध्यान में रखा जाए कि पर्याप्त भूमि, भवन, पानी की सुविधा जो कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों की पहुंच में सुलभ होने के अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए शहरी क्षेत्रों के मामले में अधिकतम दूरी 5 किमी से अधिक, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 किमी से और जनजातीय क्षेत्रों में 1.5 कि.मी. अधिक नहीं होनी चाहिए।

*****